<u>उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण</u>

द्वितीय तल, पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ–226010
फोन नं0 0522–2307542, 2307592
वेबसाइटः http://www.upeida.in

पत्रांक 3994 /यूपीडा/1431/19/अधि0 **दिनांक : 20 सितम्बर, 2019**

<u>यूपीडा के अतिथि गृह हेतु प्रस्ताव</u>

विज्ञापन का सन्दर्भ	:	यूपीडा के अतिथि गृह हेतु प्रस्ताव
विज्ञापन जारी करने की तिथि	:	दिनांक – 20.09.2019 को दोपहर 01:00 बजे
आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि	:	दिनांक – 26.09.2019 को दोपहर 01:00 बजे
आवेदन खोले जाने की तिथि	:	दिनांक – 26.09.2019 सायं – 04:00 बजे
आवेदन खोले जाने का स्थान	:	उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–206010
पत्र व्यवहार का पता	:	उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–206010

ह0/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यूपीडा के अतिथि गृह किराये हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव की शर्तें
(खण्ड अ)

1. लीज हेतु प्रस्तावित अतिथि गृह हेतु प्रस्तावित भवन का लखनऊ के प्रमुख स्थान पर स्थित होना चाहिए तथा भवन से मुख्य्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क की चौड़ाई 20 मी0 होनी अनिवार्य है।
2. लीज हेतु प्रस्तावित भवन का कारपेट एरिया कम से कम 2000 वर्ग फिट होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 05 कमरे (अटैच बाथरूम), पैन्ट्री, तथा कवर्ड पार्किंग की व्यवस्था हो।
3. टेण्डर फीस (नान रिफण्डेबल) के रूप में रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) जमा करना होगा।
4. सफल निविदादाता को अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में रू0 20,000.00 (रिफण्डेबल) जमा कराना होगा।
5. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी डिपोजिट अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर वापस की जायेगी (कोई भी ब्याज देय नही होगा)।
6. लीज हेतु प्रस्तावित भवन समस्त भारों से मुक्त होना चाहिए।
7. लीज हेतु प्रस्तावित भवन का कब्जा तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
8. भवन स्वामी को लीज हेतु प्रस्तावित भवन हेतु प्रथम चरण में 01 वर्ष का लीज एग्रीमेन्ट करना होगा। उक्त अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
9. लीज अनुबन्ध से संबंधित अन्य शर्तें आपसी सहमति से तय की जायेंगी।
10. भवन किराये पर लेने पर 02 वर्ष तक भू–स्वामी को भवन रिक्त कराने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु यूपीडा 01 माह की नोटिस पर भवन रिक्त कर सकता है।
11. अतिथि गृह का मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर की दर से देय होगा।
12. लीज हेतु प्रस्तावित भवन में बिजली और पानी का 24 घंटे हेतु कनेक्शन होना अनिवार्य है।
13. प्रस्तावित भवन का समस्त टैक्स भवन स्वामी को स्वयं देना होगा।
14. प्रस्तावित भवन की पेन्टिंग/पुताई आदि प्रत्येक वर्ष बाद भवन स्वामी को स्वयं अपने खर्चे से करानी होगी। यदि भवन स्वामी द्वारा यह कार्य नहीं कराया जाता है तो यह कार्य यूपीडा द्वारा कराया जायेगा तथा इस कार्य पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति किराये से कर दी जायेगी। भवन में उपलब्ध फर्नीचर, फिक्चर्स एवं अन्य सुविधाओं यथा बेड्स, सोफा, टेबल, चेयर्स, अलमीरा/वार्डरोब, ए0सी0, टी0वी0, फ्रिज, आर0ओ0 सिस्टम आदि उपलब्ध होना चाहिए।
15. लीज हेतु प्रस्तावित भवन में आसान पहुँच मार्ग होना चाहिए।
16. भवन के कक्ष वातानुकूलित होने चाहिए।

17. भवन में स्टैण्ड बाई जनरेटर की व्यवस्था होनी आवश्यक है।
18. पूर्ण भवन किराये हेतु उपलब्ध न होने की दशा में भी परिसर का रख–रखाव भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा।
19. यूपीडा की आवश्यकतानुसार भवन में यथा आवश्यक सिविल कार्य गुणवत्ता युक्त टायलेट होने चाहिए।
20. चूंकि भवन लीज/किराये पर लेने पर साज–सज्जा से संबंधित अनेक कार्य कराने होंगे। अतः भवन के किराये की तिथि वास्तविक कब्जे की तिथि से प्रारम्भ होगी।
21. लीज हेतु प्रस्तावित भवन का प्रस्ताव यूपीडा कार्यालय में ही प्राप्त किये जायेंगे।
22. प्रस्ताव की शर्तें पूरी न करने वाले भवन स्वामियों के प्रस्ताव निरस्त कर दिये जायेंगे।
23. मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित समिति सभी निवेदित भू–स्वामियों के प्रस्तावित अतिथि गृह/भवन का निरीक्षण कर उपयुक्त अतिथि गृहों/भवनों का पैनल तैयार करेगी तथा उन्हीं निविदाकर्ताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगीं, जिनके प्रस्तावित अतिथि गृह/भवन उक्त पैनल में चिन्हित किये गये होगें।
24. निविदा केवल भवन स्वामियों/प्राधिकृत स्वामी (पावर ऑफ अटार्नी सहित) से ही मान्य होगी।
25. निविदाकर्ता द्वारा इस निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित प्रति (प्रत्येक पृष्ठ) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
26. निविदा की वैधता अवधि 120 दिन होगी।
27. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित अतिथि गृह/भवन सभी इन्कम्ब्रेन्सेस/लिटीगेशन से मुक्त होना अनिवार्य है।
28. किराये पर दिये जाने वाले प्रस्तावित भवन के लिये विद्युत सप्लाई हेतु अलग से मीटर लगा होना चाहिए। यूपीडा द्वारा उक्त मीटर के अनुसार किये गये रीडिंग्स के आधार पर प्रस्तुत किये गये विद्युत बिल के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
29. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को सभी अथवा किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
30. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।

यूपीडा के अतिथि गृह हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले किराया प्रस्ताव का प्रारूप

(खण्ड ब)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलमेन्ट अथारिटी
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ, 226010

महोदय,

मैं अपने भवन जो लखनऊ शहर में (लोकेशन का उल्लेख करें) में स्थित है को यूपीडा के अतिथि गृह हेतु उन शर्तों, जो खण्ड 'अ' में उल्लिखित है, पर लीज पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा देने का इच्छुक हूँ।

मैं अपना प्रस्ताव मुहरबन्द लिफाफे में निम्नवत् प्रस्तुत कर रहा हूँः–

1. भवन स्वामी को अपना पैन नं0, सर्विस टैक्स नं0 के साथ जी0एस0टी0 नं0 छायाप्रति संलग्न कराना होगा।
2. यदि भवन एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है तो सभी सह–स्वामियों की ओर से शर्तों से सहमत होने के आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही इस आशय का संयुक्त हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी देना होगा कि भुगतान किस व्यक्ति के नाम देय होगा।
3. अतिथि गृह हेतु प्रस्तावित भवन का स्थान एवं भवन का नक्शा पास होना चाहिए।
4. भवन का कारपेट एरिया।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन पूर्ण होने संबंधी निर्गत प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
6. भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।
7. क्या भवन को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला मार्ग उपलब्ध है।
8. क्या भवन पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है अथवा उसमें कोई अन्य किरायेदार/कार्यालय अवस्थित है तथा पार्किंग हेतु वाहनों की संख्या का उल्लेख करना होगा।
9. क्या प्रस्तावित भवन/फ्लैट में कवर्ड पार्किंग उपलब्ध है। क्षेत्र का विवरण
10. भुगतान की शर्तें।
11. भवन का कब्जा दिये जाने हेतु वांछित समय।
12. प्रथम चरण में भवन हेतु लीज एग्रीमेन्ट की अवधि 01 वर्ष होगी। उक्त अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
13. भवन/फ्लैट हेतु जमा टैक्स की रसीद।
14. गेस्ट हाउस में अटेन्डेन्ट, कुक एवं सिक्योरिटी गार्ड की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

15. दैनिक रख–रखाव एवं साफ–सफाई यथा ट्वायलेट्स की सफाई, कूड़े का निस्तारण, बेड कवर/पिलो कवर इत्यादि की सफाई एवं रख–रखाव भू–स्वामी द्वारा किया जायेगा।

16. 24 घण्टे पानी एवं बिजली की सप्लाई की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

17. प्रस्तावित अतिथि गृह/भवन, कमरों, पार्किंग एरिया इत्यादि के फोटोग्राफ्स की प्रति भी संलग्न करें।

18. मैनें यूपीडा को अतिथि गृह हेतु भवन लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित निविदा की सभी नियमों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ।

19. यूपीडा को प्रस्तावित अतिथि गृह/भवन का प्रथम वर्ष हेतु प्रति वर्ग फीट कारपेट एरिया मासिक किराया (सभी सुविधा, सर्विसेज एवं खर्चों सहित) रू0 ....(शब्दों में.............. ....)। यदि अतिथि गृह/भवन की लीज़ अवधि 01 वर्ष के उपरान्त बढ़ायी जाती है तो प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि से मासिक किराया देय होगा।

20. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पास किये गये नक्शे की प्रति।

मैंने यूपीडा कार्यालय भवन लीज पर दिये जाने से संबंधित नियमों एवं शर्तों जो खण्ड 'अ' में अंकित है को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ।

मैं ....पुत्र/पुत्री ....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूपीडा को भवन लीज पर दिये जाने संबंधी प्रस्ताव में दी गयी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर पूर्णतया सत्य है। इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता/ भवन स्वामी का नाम)

पता

दिनांक